उत्तराखण्ड शासन
सूचना विभाग
संख्या 126/ XXII-02(8)2023
दिनांकः 14 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना विकास, शूटिंग स्थलों का निर्माण, फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार, पर्यटन के महत्त्व को बढ़ाने एवं क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए वर्तमान में उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) को पूर्णतः अधिक्रमित करते हुए, उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024 लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं,अर्थात :–

उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2024

1.संक्षिप्त नाम एवं परिचय

इस नीति का संक्षिप्त नाम **"उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2024"**है।

2. प्रस्तावना

"उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024" सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन गठित उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC) द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। इस नीति में उत्तराखण्ड राज्य में देश–विदेश से फिल्म निर्माता/निर्देशको को शूटिंग हेतु आकर्षित करने, फिल्म उद्योग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के साधन सृजित करने, क्षेत्रीय फिल्म जगत को मजबूती प्रदान करने एवं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने, फिल्मों को अनुदान, फिल्म पुरस्कार–सम्मान, उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियों में बनने वाली फिल्मों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की व्यवस्था (Single Window System) जैसे विषयों का समावेश किया गया है।

3. उद्देश्य

3(1) उत्तराखण्ड में फिल्मों तथा फिल्म उद्योग के माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजित करना और उनका संवर्धन करना।

3(2) फिल्म उद्योग के माध्यम से उत्तराखण्ड में अतिरिक्त पूंजी निवेश आकर्षित करना।

3(3) नये शूटिंग स्थलों तथा फिल्म शूटिंग हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास करते हुए उत्तराखण्ड राज्य को फिल्म शूटिंग हेतु महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करना।

3(4) उत्तराखण्ड के कलाकारों को राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु, इस दिशा में प्रोत्साहित करना।

3(5) उत्तराखण्ड के युवाओं हेतु फिल्म निर्माण/ऑडियो वीडियो कंटेंट के क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रशिक्षित किये जाने हेतु संबंधित पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करना।

3(6) फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत एवं पुरातत्व धरोहर आदि के महत्व को बढ़ाने के साथ–साथ इनका प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।

3(7) पर्वतीय क्षेत्रों में नये सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स एवं मोबाईल थियेटर की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

3(8) उत्तराखण्ड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म सिटी, फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो, फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

3(9) उत्तराखण्ड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड में फिल्माई गई क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाओं की फिल्मों के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान करना।

3(10)विदेशी, हिन्दी एवं अन्य भाषाओं की फिल्मों को उत्तराखण्ड राज्य में शूटिंग हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समुचित अनुदान प्रदान करना।

3(11)उत्तराखण्ड राज्य की स्थानीय बोली और स्थानीय/क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय कलाकारों एवं फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित अनुदान प्रदान करना।

3(12)फिल्म पाठ्यक्रम के राज्य के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

3(13)फिल्म निर्माताओं को राज्य में शूटिंग के लिए रेकी एवं नयी शूटिंग लोकेशंस की रेकी के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना।

4. परिभाषाएं

4(1) 'फिल्म' की परिभाषा वही होगी, जो चलचित्र अधिनियम, 1952 में दी गयी है।

4(2) 'परिषद' से 'उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद' (UFDC) अभिप्रेत है।

4(3) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है।

4(4) 'कार्यकारी मण्डल' से फिल्म विकास परिषद का कार्यकारी मण्डल'' अभिप्रेत है।

4(5) 'पोस्ट प्रोडक्शन' से फिल्म की शूटिंग उपरांत फिल्म में की जाने वाली वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, SFX, कलर करेक्शन, ग्रेडिंग, DI, VFX, डबिंग, मास्टरिंग और फिल्म के फाइनल आउटपुट फाइल आदि अभिप्रेत है।

4(6) 'ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म' से सब्स्क्राइबरशिप के आधार पर फीचर फिल्म, वेब सीरीज एवं अन्य ऑडियो वीडियो कंटेंट इत्यादि का इंटरनेट के माध्यम से टीवी, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर,टेबलेट (multiple device availability) इत्यादि पर स्ट्रीमिंग के प्लेटफार्म अभिप्रेत है। इस नीति के अंतर्गत अनुमन्य 'ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म' का निर्धारण परिषद द्वारा समय–समय पर किया जायेगा। उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषाओं के 'ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म' के चयन में प्लेटफार्म का निर्धारण समय–समय पर परिषद द्वारा अनुमन्य किया जायेगा।

4(7) 'वैबसीरिज़' से किसी धारावाहिक की एक श्रृंखला का ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारण करना अभिप्रेत है।

एवं टीवी सीरियल्स से राष्ट्रीय स्तर के ब्रॉडकास्टिंग टीवी चैनल्स पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों की श्रृंखला अभिप्रेत है।

4(8) 'सिनेमाघर' से वह स्थान जहां नियमित रूप से सिनेमा दिखाया जाता हो, अभिप्रेत है।

4(9) 'मल्टीप्लेक्स' से वह स्थान जहां एक ही स्थान पर एक से अधिक फिल्म स्क्रीन हो, तथा नियमित रूप से सिनेमा दिखाया जाता हो, अभिप्रेत है।

4(10)'मोबाईल थियेटर' से वह वाहन जिसमें/जिसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाकर सिनेमा दिखाया जाता हो, अभिप्रेत है।

4(11)'फिल्म एवं ऑडियो वीडियो कंटेंट निर्माण प्रशिक्षण संस्थान' से वह स्थान या संस्थान जहां फिल्म एवं टेलिविजन से संबंधित विषयों/कंटेंट निर्माण पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हो, अभिप्रेत है।

4(12)हिन्दी एवं अन्य भाषाओं से भारत का संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा अभिप्रेत है।

4(13)'उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली' से उत्तराखण्ड राज्य में बोली जाने क्षेत्रीय बोलियां अभिप्रेत है। फिल्म निर्माण की इस नीति के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड की फिल्मों में बोली गई अनुमन्य क्षेत्रीय भाषाओँ का निर्धारण समय समय पर परिषद द्वारा किया जायेगा।

4(14)'महानिदेशक' से विभागाध्यक्ष सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद अभिप्रेत है।

4(15)'फीचर फिल्म' से 70 मिनट या अधिक समयावधि की फिल्म अभिप्रेत है (फिल्म क्रेडिट सहित)

4(16)'लघु फिल्म' से 30 मिनट तक की अधिकतम समयावधि की फिल्म अभिप्रेत है। (फिल्म क्रेडिट सहित)

4(17)'डाक्यूमेंट्री फिल्म' से एक गैर काल्पनिक (नॉन फिक्शन) फिल्म से है, जिसका उद्देश्य वास्तविक घटनाओं/परिस्तिथियों का दस्तावेजीकरण करना है तथा यह मुख्य रूप से पर्यावरण, शैक्षिक, ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रण अथवा निर्देशात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई हो, अभिप्रेत है। डाक्यूमेंट्री की समय सीमा न्यूनतम 20 मिनट (क्रेडिट सहित) और लघु डाक्यूमेंट्री की समय सीमा अधिकतम 15 मिनट (क्रेडिट सहित) होगी।

4(18)'वीडियो ब्लॉग' से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाला ऑडियो वीडियो कंटेंट, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड के पर्यटन तथा संस्कृति को प्रोत्साहन मिले अभिप्रेत है।

4(19) 'कंटेंट' से ऑडियो वीडियो फिल्म, गीत संगीत, गेमिंग इत्यादि अभिप्रेत है।

5. फिल्म उद्योग हेतु अवस्थापना विकास

5.(क) प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक या एक से अधिक राजकीय एवं निजी फिल्म सिटी की स्थापना पर कार्य किया जायेगा। इस दिशा में औद्योगिक विकास विभाग की सुसंगत नीतियों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों का भी समुचित उपयोग प्रोत्साहित किया जायेगा।

.(ख) उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में नये सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, मोबाईल थियेटर, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में फिल्म उद्योग को मजबूत करना है। फिल्म उद्योग को मजबूती प्रदान करने हेतु निम्नानुसार अनुदान/वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा–

श्रेणी	वित्तीय सहायता /अनुदान	पात्रता
5.(1)नये सिनेमाघर एवं नये मल्टीप्लेक्स।	(क) पर्वतीय क्षेत्रों के नये सिनेमाघर एवं नये मल्टीप्लेक्स में प्रयोग होने वाले सिनेमा सम्बंधित उपकरणों के क्रय पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत या अधिकतम रु. 25 लाख तक, जो भी कम हो।	1. पात्र पर्वतीय क्षेत्रों का चयन, क्षेत्र की परिस्तिथियों के आंकलन के आधार पर परिषद् द्वारा किया जायेगा। 2. वित्तीय सहयोग की धनराशि, संबंधित व्यक्ति/फर्म/कंपनी/संस्थान को एक बार ही अनुमन्य होगी। 3. अनुदान की धनराशि नये सिनेमाघर के पूर्ण होने पर दी जायेगी। 4. अनुदान के लिए सिनेमाघर एवंमल्टीप्लेक्स में प्रयुक्त होने वाले क्रय उपकरणों की आवश्यकता का आंकलन उनकी प्राथमिकता एवं उपयोगिता के आधार पर परिषद् द्वारा किया जायेगा। 5. उपकरण क्रय करने पर हुए व्यय से सम्बन्धित बीजक (जी.एस.टी.सहित) उपलब्ध कराना होगा। 6. यह अनुदान प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर परिषद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के भौतिक सत्यापन के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा। 7. अनुदान के लिए सम्पूर्ण व्यय के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिजिटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 8. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु, किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय, कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।
5.(2)नये मोबाईल थियेटर।	(क)पर्वतीय क्षेत्रों में नये मोबाईल थियेटर वाहन के क्रय पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत या	1. पात्र पर्वतीय क्षेत्रों का चयन क्षेत्र की परिस्तिथियों के आंकलन के आधार पर परिषद् द्वारा किया जायेगा। 2. वित्तीय सहयोग की धनराशि संबंधित व्यक्ति/फर्म/कंपनी/संस्थान को एक बार ही

	अधिकतम रु. 25 लाख तक, जो भी कम हो।	अनुमन्य होगी। 3. अनुदान की धनराशि नये मोबाईल थियेटर क्रय करने पर दी जायेगी। 4. अनुदान के लिए मोबाईल थिएटर में प्रयुक्त वाहन, स्क्रीन व् अन्य उपकरणों के लिए अनुमन्य मानकों का निर्धारण समय समय पर परिषद द्वारा किया जायेगा। 5. मोबाईल थियेटर वाहन क्रय करने पर हुए व्यय से सम्बन्धित बीजक (जी.एस.टी.सहित) उपलब्ध कराना होगा। 6. यह अनुदान प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर परिषदद्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के भौतिक सत्यापन के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा। 7. अनुदान के लिए सम्पूर्ण व्यय के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिजिटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 8. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु, किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।
5.(3)पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो हेतु वित्तीय अनुदान।	**(क)** नये पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो में प्रयोग होने वाले उपकरणों के क्रय पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत या अधिकतम रु. 25 लाख तक, जो भी कम हो।	1. अनुदान के लिए प्रयुक्त उपकरणों का आंकलन उनकी प्राथमिकता एवं उपयोगिता के आधार पर परिषद् द्वारा किया जायेगा। 2. वित्तीय सहयोग की धनराशि संबंधित व्यक्ति/फर्म/कंपनी/संस्थान को एक बार ही अनुमन्य होगी। 3. यह अनुदान की धनराशि नये पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो के पूर्ण होने पर दी जायेगी। 4. उपकरण क्रय करने पर हुए व्यय से सम्बन्धित बीजक (जी.एस.टी.सहित) उपलब्ध कराना होगा। 5. यह अनुदान प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर परिषद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के भौतिक

		सत्यापन के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा। 6. अनुदान के लिए सम्पूर्ण व्यय के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिजिटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 7. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु, किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे। 8. यह अनुदान देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल जनपदों को प्रतिवर्ष 2–2 स्टूडियो तथा अन्य जनपदों में प्रतिवर्ष 1–1 स्टूडियो के लिये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

5.(4)फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान

नये फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान हेतु, उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में स्कूल ऑफ सिनेमेटिक स्टडीज़ की स्थापना करते हुए फिल्म एवं कंटेंट शिक्षा पर पाठ्क्रम प्रोत्साहित किए जायेंगे। प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर पाठ्क्रम डिजाइन किए जायेंगे। पाठ्यक्रम आने वाले समय में फिल्म उद्योग की मांग के अनुरूप हो और सिनेमा के विविध आयामों को समावेशित करने वाला हो, इस पर विशेष जोर दिया जायेगा। जिससे स्थानीय युवाओं व कलाकारों की दक्षता में वृद्धि होगी। राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य में फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों, कंटेंट क्रिएशन एवं फिल्म उद्योग के जुड़े पाठ्क्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

श्रेणी	**वित्तीय सहायता /अनुदान**	पात्रता

(5)(5)नये फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान हेतु वित्तीय अनुदान।	(क) नये फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान में स्टूडियो निर्माण तथा प्रयोग होने वाले उपकरणों के क्रय हेतु 25 प्रतिशत तक या रु. 50 लाख तक, जो भी कम हो।	1. फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपने सभी पाठ्क्रम के लिये दिये डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और डिग्री राज्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयो द्वारा मान्य की जायेगी। 2. जिसमें फिल्म एवं कंटेंट निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाठ्क्रम जैसे फिल्म डायरेक्शन, स्टोरी, स्क्रीनप्ले, डायलाग राइटिंग, फिल्म प्रोडूसिंग, फिल्म प्रोडक्शन, एक्टिंग, मेकअप, सिनेमेटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग एवं साउंड इंजीनरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन (ऑडियो/वीडियो एडिटिंग, एनीमेशन, VFX,ग्रेडिंग,DI, डबिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग) व फिल्म एवं कंटेंट निर्माण में संचालित होने वाले विभिन्न तकनीकी उपकरणों के पाठ्यक्रम आदि सम्मिलित होने चाहिए। 3. अनुदान प्रदान करने के उपरांत संस्थान को तीन वर्ष तक संचालित करना अनिवार्य होगा। इस आशय का शपथ पत्र विभाग में जमा कराना होगा। 4. अनुदान के लिए क्रय किये गए उपकरणों का आंकलन उनकी प्राथमिकता एवं उपयोगिता के आधार पर उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् द्वारा किया जायेगा। 5. यह अनुदान नये संस्थान के पूर्ण होने पर परिषदद्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट के भौतिक सत्यापन के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा। 6. अनुदान के लिए सम्पूर्ण व्यय के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिजिटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 7. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय सम्पूर्ण व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।

6. फिल्मों को अनुदान

6. उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा राज्य में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने व स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, राज्य की आय में वृद्धि तथा स्थानीय फिल्मों एवं कलाकारों को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत प्रोत्साहन स्वरूप फिल्मों को अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी, जो निम्नानुसार होगी।

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
6.(1)उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियां।	(क) उत्तराखण्ड में फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या रु. 2करोड़ तक, जो भी कम हो तक की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। (ख)बाल फिल्मों के लिए अनुमन्य अनुदान राशि की अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। (ग)अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा।	1. फिल्म का 75 प्रतिशत फिल्मांकन (शूटिंग) उत्तराखण्ड राज्य में किया जाना आवश्यक है तथा फिल्म का 75 प्रतिशत स्क्रीन टाइम उत्तराखण्ड राज्य में की गई शूटिंग का होना चाहिए। 2. फिल्म की शूटिंग न्यूनतम 4K रेज़लुशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता डॉल्बी डिजिटल अथवा उच्चतर होनी चाहिए। 3. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) का प्रमाण पत्र आवश्यक है। 4. परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 5. फिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 6. फिल्म का प्रदर्शन कम से कम 5 सिनेमा स्क्रीन में होना आवश्यक है। (OTTपर प्रसारित फिल्मों को छोड़कर) जिसका प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 7. फिल्म का अनुदान, फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा। 8. परिषद द्वारा अनुमोदित OTT पर

		प्रसारित फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/कम्पनी को OTT प्लेटफार्म के साथ सम्पादित अनुबंध–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 9. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लिखित करना अनिवार्य होगा। 10. अनुदान के लिए राज्य में हुए फिल्म प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। फिल्म निर्माण पश्चात् फिल्म पर हुए मार्केटिंग, प्रोमोशंस (प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 11. फिल्म अनुदान के लिए सम्पूर्ण फिल्म व्यय के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिजिटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 12. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा; परन्तु, किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय फिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।
6.(2)हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा की फिल्में।	(क) फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या रु. 3 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का	1. फिल्म का 75 प्रतिशत फिल्मांकन (शूटिंग) उत्तराखण्ड राज्य में किया जाना आवश्यक है, तथा फिल्म का 75 प्रतिशत स्क्रीन टाइम उत्तराखण्ड राज्य में की गई

	अनुदान दिया जा सकता है। **(ख)** बाल फिल्मों के लिए अनुमन्य अनुदान राशि की अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। **(ग)** अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा। **(घ)** जिन फिल्म निर्माताओं द्वारा, परिषद द्वारा निर्धारित राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के नये शूटिंग लोकेशंस में कम से कम 7 दिन फिल्म की शूटिंग की जायेगी, ऐसे फिल्म निर्माता को अन्य सभी सुसंगत शर्तों के अनुपालन के उपरांत अनुमन्य अनुदान का 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। **(ड़)** नए शूटिंग लोकेशंस का चयन परिषद द्वारा पर्यटन विभाग की सलाह से किया जायेगा। **(च)** फिल्म में उत्तराखण्ड के लोकेशंस के वास्तविक नाम प्रयोग करने पर अनुमन्य	शूटिंग का होना चाहिए। 2. फिल्म की शूटिंग न्यूनतम 4K रेज़लुशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता डॉल्बी डिजिटल अथवा उच्चतर होनी चाहिए। 3. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) का प्रमाण पत्र आवश्यक है। 4. परिषद द्वारा निर्गत शूटिंग अनुमति पत्र। 5. फिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 6. फिल्म का प्रदर्शन कम से कम 50 सिनेमा स्क्रीन में एक सप्ताह तक होना आवश्यक है। (OTT पर प्रसारित फिल्मों को छोड़कर) जिसका प्रमाण–पत्र अथवा ऐसा कोई भी अभिलेख जिसे परिषद उचित समझे, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 7. फिल्म का अनुदान, फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा। 8. परिषद द्वारा अधिसूचित OTT पर प्रसारित फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/कम्पनी को OTT प्लेटफार्म के साथ सम्पादित अनुबंध–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 9. उत्तराखण्ड के **कलाकार/तकनीशियन** होने की दशा में स्थाई निवास प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य

	अनुदान का 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। (छ) हिन्दी एवं अन्य भाषा की भारतीय फिल्मों में पांच मुख्य अभिनेताओं/ अभिनेत्रियों में से, उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी एक या उससे अधिक अभिनेताओं/ अभिनेत्रियों को मुख्य अभिनय हेतु शामिल किया जाता है, तो उस अभिनेता/अभिनेत्री को सम्मिलित रूप से किये गए वास्तविक भुगतान या 10 लाख तक जो भी कम हो अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा, इस दिशा में पात्रता एवं अनुमन्यता हेतु परिषद का निर्णय अंतिम होगा। (ज) हिन्दी एवं अन्य भाषा की भारतीय फिल्मों के निर्माण में पांच मुख्य श्रेणियों 1. सिनेमेटोग्राफी, 2. आर्ट डायरेक्शन, 3. साउंड डायरेक्शन / इंजीनियरिंग, 4. म्यूजिक डायरेक्शन, 5. एडिटिंग में उन तकनीशियनों को शामिल किया जाता है, जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी हों तो, अधिकतम पांच तकनीशियनों को सम्मिलित रूप से किये गए वास्तविक	होगा। 10. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लिखित करना अनिवार्य होगा। 11. अनुदान के लिए राज्य में हुए फिल्म प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। फिल्म निर्माण पश्चात फिल्म पर हुए मार्केटिंग, प्रोमोशंस (प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 12. फिल्म अनुदान के लिए सम्पूर्ण फिल्म व्यय के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 13. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु, किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय फिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।

	भुगतान या 10 लाख तक जो भी कम हो अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा, इस दिशा में पात्रता एवं अनुमन्यता हेतु परिषद का निर्णय अंतिम होगा।	
6.(3)राज्य में शूट की जाने वाली 50 करोड़ या उससे अधिक के बजट की फिल्में।	**(क)** राज्य में शूट की जाने वाली वह फिल्में जिनका बजट 50 करोड़ या इससे अधिक हो,जिन्होंने राज्य में न्यूनतम 3 करोड़ से अधिक व्यय किया हो, राज्य में की गयी शूटिंग लोकेशंस को फिल्म में यथोचित प्रकार से दिखाया गया हो, उन फिल्मों को राज्य में किये गए व्यय का 30% या 3 करोड़ तक जो भी कम हो तक की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। **(ख)** अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा।	1. फिल्म की शूटिंग न्यूनतम 4K रेज़लुशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता डॉल्बी डिजिटल अथवा उच्चतर होनी चाहिए। 2. फिल्म शूटिंग हेतु केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) का प्रमाण पत्र। 3. परिषद द्वारा निर्गत शूटिंग अनुमति पत्र। 4. विदेशी फिल्म की शूटिंग हेतु भारत सरकार से अनुमति पत्र अपेक्षित होगा। 5. फिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 6. फिल्म का प्रदर्शन कम से कम 50 सिनेमा स्क्रीन में एक सप्ताह तक होना आवश्यक है। (OTT पर प्रसारित फिल्मों को छोड़कर) जिसका प्रमाण–पत्र अथवा ऐसा कोई भी अभिलेख जिसे परिषद उचित समझे, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 7. फिल्म का अनुदान, फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत

		व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा। 8. परिषद द्वारा अधिसूचित OTT पर प्रसारित फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/कम्पनी को OTT प्लेटफार्म के साथ सम्पादित अनुबंध–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 9. **क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लिखित करना अनिवार्य होगा।** 10. अनुदान के लिए राज्य में हुए फिल्म प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। फिल्म निर्माण पश्चात् फिल्म पर हुए मार्केटिंग, प्रोमोशंस (प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 11. फिल्म अनुदान के लिए सम्पूर्ण फिल्म व्यय के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 12. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय फिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे

6.(4)विदेशी भाषा की फिल्में।	**(क)** राज्य में शूट की जाने वाली विदेशी भाषा की फिल्में जिन्होंने राज्य में न्यूनतम 3 करोड़ से अधिक व्यय किया हो, राज्य में की गयी शूटिंग लोकेशंस को फिल्म में यथोचित प्रकार से दिखाया गया हो। राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या 3 करोड़ तक जो भी कम हो, की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। **(ख)** अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा। **(ग)** फिल्म में उत्तराखण्ड के लोकेशंस के वास्तविक नाम प्रयोग करने पर अनुमन्य अनुदान का 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।	1. भारत सरकार से निर्गत शूटिंग का यथोचित अनुमति पत्र। 2. परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 3. उत्तराखण्ड में फिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 4. फिल्म की शूटिंग न्यूनतम 4K रेज़लुशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता डॉल्बी डिजिटल अथवा उच्चतर होनी चाहिए। 5. उन्हीं फिल्मों को अनुदान हेतु पात्र समझा जायेगा, जो संबंधित देश या अन्य देशों में 50 से अधिक सिनेमा स्क्रीन में प्रदर्शित हुई हो अथवा संबंधित देश के OTT प्लेटफार्म पर फिल्म प्रदर्शित हुई है। तद्नुसार ही अनुदान की धनराशि का निर्धारण किया जायेगा। 6. अनुदान के लिए विदेशी भाषाओं की फिल्मों की रिलीज हेतु परिषद द्वारा समय–समय पर मानक निर्धारित किये जा सकेंगे। 7. परिषद द्वारा अधिसूचित OTT पर प्रसारित फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होंगी। 8. फिल्म का अनुदान फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था

		को ही प्रदान किया जायेगा। 9. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। 10. अनुदान के लिए राज्य में हुए फिल्म प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। फिल्म निर्माण पश्चात् फिल्म पर हुए मार्केटिंग, प्रोमोशंस (प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 11. फिल्म अनुदान के लिए सम्पूर्ण फिल्म व्यय के बजट के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 12. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय फिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।
6.(5)टीवी सीरियल / वेबसीरीज़ को अनुदान। **हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में**	(क) टीवी सीरियल/ वेबसीरीज़ की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या 3 करोड़ तक, जो भी कम हो, की धनराशि का	1. वेबसीरीज़ में न्यूनतम 5 एपिसोड (प्रत्येक एपिसोड न्यूनतम लम्बाई 30 मिनट) होने आवश्यक है। 2. टीवी सीरियल में न्यूनतम 20 एपिसोड (प्रत्येक एपिसोड

उल्लिखित भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियों में निर्माण अनुमन्य होगा।	अनुदान दिया जा सकता है। (ख) बाल टीवी सीरियल / वेबसीरीज़ के लिए अनुमन्य अनुदान राशि की अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। (ग) अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा। (घ) टीवी सीरियल/ वेबसीरीज़ में पांच मुख्य अभिनेताओं/ अभिनेत्रियों में से उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी एक या उससे अधिक अभिनेताओं/ अभिनेत्रियों को मुख्य अभिनय हेतु शामिल किया जाता है, तो उस अभिनेता/ अभिनेत्री को सम्मिलित रूप से किये गए वास्तविक भुगतान या 10 लाख तक जो भी कम हो, अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा, इस दिशा में पात्रता एवं अनुमन्यता हेतु परिषद का निर्णय अंतिम होगा। (ङ) यदि टीवी सीरियल/ वेबसीरीज़ के निर्माण में पांच मुख्य श्रेणियों 1. सिनेमेटोग्राफी,	न्यूनतम लम्बाई 22 मिनट) होने आवश्यक है। 3. वेब सीरीज अथवा टीवी सीरियल की कुल लम्बाई का 75 प्रतिशत फिल्मांकन (शूटिंग) उत्तराखण्ड राज्य में किया जाना आवश्यक है, तथा 75 प्रतिशत स्क्रीन टाइम उत्तराखण्ड राज्य का अवश्य होना चाहिए। 4. परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 5. टीवी सीरियल / वेबसीरीज़ के प्रसारण के लिए सम्बंधित प्लेटफॉर्म / चैनल द्वारा प्रसारण का प्रमाण पत्र। 6. टीवी सीरियल/ वेबसीरीज़ की शूटिंग न्यूनतम 4K रेज़लुशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता प्रसारित प्लेटफॉर्म के मानकों के अनुसार होनी चाहिए। 7. वेबसीरीज़ का प्रसारण परिषद द्वारा अधिसूचित OTT प्लेटफार्म पर होना आवश्यक है। वेब सीरीज के सभी एपिसोड का प्रसारण होने / रिलीज होने के उपरांत ही आवेदन कर सकेंगे। 8. टीवी सीरियल के सभी एपिसोड का प्रसारण ऐसे चैनल पर होना चाहिए जो किसी भी 03 राष्ट्रीय स्तर के डीटीएच पर हो। टीवी

	2. आर्ट डायरेक्शन, 3. साउंड डायरेक्शन / इंजीनियरिंग, 4. म्यूजिक डायरेक्शन, 5. एडिटिंग में उन तकनीशियनों को शामिल किया जाता है, जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी हों तो अधिकतम पांच तकनीशियनों को सम्मिलित रूप से किये गए वास्तविक भुगतान या 10 लाख तक जो भी कम हो, अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा, इस दिशा में पात्रता एवं अनुमन्यता हेतु परिषद का निर्णय अंतिम होगा। **(च)** जिन निर्माताओं द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के नये शूटिंग लोकेशंस में कम से कम 07 दिन टीवी सीरियल/वेबसीरीज़ की शूटिंग की जायेगी, ऐसे फिल्म निर्माता को अनुमन्य अनुदान का 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। नए शूटिंग लोकेशंस का चयन परिषद द्वारा पर्यटन विभाग की सलाह से किया जायेगा। **(छ)** उत्तराखण्ड की लोकेशंस का वास्तविक नाम प्रयोग करने पर अनुमन्य अनुदान	सीरियल के कुल एपिसोड के 50% का प्रसारण हो जाने के उपरांत ही अनुदान हेतु आवेदन किया जा सकेगा। 9. टीवी सीरियल / वेबसीरीज़ की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 10. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लिखित करना अनिवार्य होगा। 11. उत्तराखण्ड के कलाकार/ तकनीशियन होने की दशा में स्थाई निवास प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा। 12. अनुदान के लिए राज्य में हुए टीवी सीरियल/ वेबसीरीज प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। टीवी सीरियल/ वेबसीरीज़निर्माण पश्चात् टीवी सीरियल/ वेबसीरीज पर हुए मार्केटिंग, प्रोमोशंस (प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 13. अनुदान के लिए सम्पूर्ण टीवी सीरियल/वेबसीरीज व्यय के बजट के सापेक्ष, टीवी सीरियल/ वेबसीरीज व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट

	का 5% अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।	बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 14. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय फिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे। 15. टीवी सीरियल / वेबसीरीज़ को अनुदान, निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा।

6.(6) डाक्यूमेंट्री के लिए अनुदान	(क) उत्तराखण्ड में शूट की गयी डाक्यूमेंट्री के लिये राज्य में व्यय की गई घनराशि का 30 प्रतिशत या 15 लाख तक जो भी कम हो, की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। (ख) यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डाक्यूमेंट्री की शूटिंग भारत में होती है, और उसका 50 प्रतिशत शूट उत्तराखण्ड राज्य में हुआ है या पूरी फिल्म का 50 प्रतिशत स्क्रीन टाइम उत्तराखण्ड की लोकेशंस की शूटिंग का होने पर राज्य में व्यय की गई घनराशि का 50 प्रतिशत या 15 लाख तक जो भी कम हो, की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। (ग) अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा।	1. डाक्यूमेंट्री का 75 प्रतिशत फिल्मांकन (शूटिंग) उत्तराखण्ड राज्य में किया जाना आवश्यक है, तथा फिल्म का 75 प्रतिशत स्क्रीन टाइम उत्तराखण्ड राज्य का अवश्य होना चाहिए। 2. डाक्यूमेंट्री का शूटिंग 4K रेज़लुशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता प्रसारित प्लेटफॉर्म, चैनल्स के मानकों के अनुसार होनी चाहिए। 3. सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र आवश्यक है। 4. प्रसारित प्लेटफॉर्म / महोत्सव का प्रमाणित अनुबंध पत्र आवश्यक है। 5. परिषद द्वारा निर्गत शूटिंग अनुमति पत्र। 6. डाक्यूमेंट्री की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 7. डाक्यूमेंट्री, किसी भी एक राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान, फिल्म महोत्सव, परिषद द्वारा अधिसूचित संस्था या प्लेटफॉर्म द्वारा पुरस्कृत की गई हो। जिसका प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अथवा ऐसा कोई भी अभिलेख जिसे परिषद उचित समझे, उपलब्ध करना होगा।

		8. टनुदान, फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा। 9. परिषद द्वारा अधिसूचित OTT पर प्रसारित डाक्यूमेंट्रीं भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/कम्पनी को OTT प्लेटफार्म के साथ सम्पादित अनुबंध–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 10. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लिखित करना अनिवार्य होगा। 11. अनुदान के लिए राज्य में हुए डाक्यूमेंट्री फिल्म प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। डाक्यूमेंट्री निर्माण पश्चात डाक्यूमेंट्री पर हुए मार्केटिंग, प्रोमोशंस (प्रचार प्रसार) एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 12. अनुदान के लिए सम्पूर्ण डाक्यूमेंट्री व्यय के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 13. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय

		स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय डाक्यूमेंट्री निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।
6.(7) लघु फिल्म हेतु अनुदान	(क) लघुफिल्म (हिंदी, अन्य भारतीय भाषा व् उत्तराखंडी क्षेत्रीय बोली) को राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या 5 लाख तक जो भी कम हो, की धनराशि का अनुदान दिया जा सकता है। (ख) अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण फिल्म की गुणवत्ता तथा तकनीकी पक्षों के आंकलन के आधार पर किया जायेगा।	1. लघुफिल्म का 100 प्रतिशत फिल्मांकन (शूटिंग) उत्तराखण्ड राज्य में किया जाना आवश्यक है। 2. लघुफिल्म का शूटिंग न्यूनतम 4K रेज़लुशन अथवा उच्चतर और साउंड गुणवत्ता डॉल्बी डिजिटल अथवा उच्चतर होनी चाहिए। 3. सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र आवश्यक है। 4. परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 5. लघुफिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक प्रस्तुत करना होगा। 6. यदि लघुफिल्म राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर, प्रतिष्ठित संस्थान, परिषद द्वारा अधिसूचित संस्था या प्लेटफॉर्म द्वारा पुरस्कृत की गई हो, तब ऐसा प्रमाण–पत्र अथवा ऐसा कोई भी अभिलेख जिसे परिषद उचित समझे, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 7. लघुफिल्म का अनुदान फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा।

		8. क्रेडिट रोल में राज्य में फिल्मांकित सभी लोकेशंस को उल्लिखित करना अनिवार्य होगा। 9. परिषद द्वारा अधिसूचित OTT पर प्रसारित लघुफिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/कम्पनी को OTT प्लेटफार्म के साथ सम्पादित अनुबंध–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 10. अनुदान के लिए राज्य में हुए लघुफिल्म प्रोडक्शन पर हुए व्यय ही मान्य होंगे। लघुफिल्म निर्माण पश्चात लघुफिल्म पर हुए मार्केटिंग, प्रोमोशंस एवं रिलीज़ सम्बंधित व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होंगे। 11. लघुफिल्म अनुदान के लिए सम्पूर्ण फिल्म व्यय के सापेक्ष, फिल्म व्यय के 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिज़िटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। 12. कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित होने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कुल नकद व्यय लघुफिल्म निर्माण के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।

7. उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कार

परिषद द्वारा समय समय पर फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। फिल्म महोत्सव किसी ख्याति प्राप्त संस्था के साथ भी आयोजित किया जा सकता है। फिल्म महोत्सव में राज्य सरकार द्वारा फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा सर्वोत्तम हिन्दी तथा अन्य भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों, जिसकी शूटिंग उत्तराखण्ड में की गई हो, के निर्माण से जुड़े व्यक्तियों, उत्तराखण्ड में फिल्म उद्योग से संबंधित प्रचार–प्रसार पत्रकारिता के माध्यम से किया गया हो, किसी लाईन प्रोड्यूसर ने अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग उत्तराखण्ड में कराई हो, को सम्मानित करने के लिए वार्षिक राज्य फिल्म पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। फिल्म पुरस्कार हेतु प्रतिवर्ष दिनांक 01 जनवरी, से 31 दिसम्बर, के बीच प्रदर्शित हिन्दी तथा अन्य भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों/डाक्यूमेंट्री फिल्मों पर विचार किया जायेगा। पुरस्कारों का चयन परिषद में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

7.(1) ब्रांड एंबेसडर

राज्य में फिल्म संस्कृति और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने तथा राज्य की छवि निर्माण के उद्देश्य से परिषद द्वारा ब्रांड एंबेसडर के रूप में भारतीय फिल्म जगत से अथवा किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी को नामित/चयनित किया जा सकता है। अध्यक्ष परिषद द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के लिये मानदेय और अन्य सुविधाओं के लिए परिषद के कोष से विवेकानुसार आवश्यक स्वीकृतियों को प्रदान किया जा सकता है।

7.(2) परिषद् द्वारा आवश्यकता पड़ने पर राज्य की योजनाओं, पर्यटन स्थलों, एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं पर परिषद् द्वारा गठित समिति के अनुमोदनोपरांत प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं अथवा फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के अनुरोध एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर व्यावसायिक दरों पर फिल्म निर्मित कराई जा सकती हैं।

प्रस्ताव के परीक्षण हेतु निम्नानुसार समिति होगी।

1. CEO, फिल्म विकास परिषद्
2. अपर निदेशक / अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. CEO द्वारा नामित फिल्म उद्योग से विशेषज्ञ
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी
5. नोडल अधिकारी

उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद्, (मा. मुख्यमंत्री) द्वारा प्रदान की जाएगी।

7.(3) सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा निर्मित की जाने वाली विज्ञापन फिल्मों में किसी प्रसिद्ध सिने कलाकार, सेलिब्रिटी को भूमिका देने हेतु पारिश्रमिक अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद्, (मा. मुख्यमंत्री) की अनुमति से नियत किया जा सकता है। जिसका भुगतान परिषद् के द्वारा किया

जायेगा।

7.(4)हिन्दी एवं अन्य भाषा की फिल्म हेतु पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि
1	सर्वोत्तम फिल्म	2,00,000
2	सर्वोत्तम निर्देशक	1,50,000
3	सर्वोत्तम अभिनेता	1,00,000
4	सर्वोत्तम अभिनेत्री	1,00,000
5	सर्वोत्तम पटकथा लेखक	1,00,000
6	सर्वोत्तम गायक	1,00,000
7	सर्वोत्तम सहायक अभिनेता	1,00,000
8	सर्वोत्तम सहायक अभिनेत्री	1,00,000
9	सर्वोत्तम सिनेमाटोग्राफर	1,00,000

7.(5)क्षेत्रीय बोलीकी फिल्म हेतु पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि
1	सर्वोत्तम फिल्म	2,00,000
2	सर्वोत्तम निर्देशक	1,50,000
3	सर्वोत्तम अभिनेता	1,00,000
4	सर्वोत्तम अभिनेत्री	1,00,000
5	सर्वोत्तम पटकथा लेखक	1,00,000
6	सर्वोत्तम गायक	1,00,000
7	सर्वोत्तम सहायक अभिनेता	1,00,000
8	सर्वोत्तम सहायक अभिनेत्री	1,00,000
9	सर्वोत्तम सिनेमाटोग्राफर	1,00,000
10	सर्वोत्तम एलबम गायक	1,00,000

7.(6) अन्य पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि
1	लाईफ टाईम अचीवमेंट फिल्म पुरस्कार (फिल्म क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए)	2,00,000
2	सर्वोत्तम लाईन प्रोड्यूसर (जो परिषदमें पंजीकृत हो)	1,00,000

3	सर्वोत्तम डाक्यूमेंट्री निर्माता **(जो किसी राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा पुरस्कृत की गई हो)**	1,00,000
4	सर्वोत्तम लघु फिल्म पुरस्कार **राज्य में फिल्मांकित सर्वोत्तम 3 लघु फिल्म पुरूस्कार (जो किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा पुरस्कृत की गई हो)**	प्रथम 1,50,000 द्वितीय 1,00,000 तृतीय 50,000
5	सर्वोत्तम वीलॉग, ट्रैवलॉग निर्माता **(3 सर्वाधिक व्यूज (मोस्ट व्यूड) मनोरम लोकेशन (डेस्टिनेशंस) और राज्य के स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता Youtube / Facebook / Instagram या समकक्ष प्लेटफार्म पर प्रसारित वीलोग, ट्रैवलॉग वीडियो।)**	1,00,000
6	सर्वोत्तम म्यूज़िक वीडियो पुरस्कार **(परिषद द्वारा अधिसूचित संस्था या प्लेटफॉर्म पर 3 सर्वाधिक व्यूज (मोस्ट व्यूड) मनोरम लोकेशन डेस्टिनेशंस और राज्य के स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता Youtube / Facebook / Instagram या समकक्ष प्लेटफार्म पर प्रसारित वीडियो।)**	प्रथम 1,00,000 द्वितीय 75,000 तृतीय 50,000

7.(7) उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त परिषद के अध्यक्ष द्वारा अधिकतम 10 लाख रुपए तक के अन्य पुरस्कार समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

7.(8) राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरस्कार संस्थानों में पुरस्कृत फिल्मों को परिषद द्वारा समय –समय पर अधिकतम 30 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। पुरस्कार की धनराशि को CEO, परिषद, के अनुमोदनोपरान्त ही निर्धारित किया जायेगा।

8. (1) उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कार के चयन हेतु समिति का गठन

(क) उपाध्यक्ष, परिषद – अध्यक्ष

(ख) महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिषद – पदेन सदस्य

(ग) फिल्म विकास परिषद में नामित 03 सदस्य (गैर सरकारी) – सदस्य

8.(2) परिषद में उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्य नामित न होने की दशा में महानिदेशक की अध्यक्षता में पुरस्कार हेतु चयन समिति गठित की जायेगी। समिति में परिषद द्वारा 03 गैर सरकारी सदस्य जो फिल्म विधा से संबंधित हो, सम्मिलित किये जायेंगे, जिनका नामांकन मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोंपरात किया जायेगा।

9. उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों के प्रसारण हेतु सहयोग

9.(1) राज्य में स्थापित सभी सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स स्वामियों को अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों को सेंसर प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद एक सप्ताह तक प्रतिदिन व्यावसायिक नियम व् शतो 'पर न्यूनतम एक शो अनिवार्य रूप से दिखाया जाना होगा। यदि प्रथम सप्ताह शो की दर्शक संख्या 75 प्रतिशत से अधिक रहती है तो शो की अवधि एक सप्ताह और बढ़ायी जा सकती है।

9.(2) राज्य सरकार के अधीन स्थापित नगर निगम/नगर पालिका/विभागीय ऑडीटोरियम/नगर पंचायत ऑडीटोरियम आदि में निर्माता क्षेत्रीय बोली की फिल्मों का प्रदर्शन कर सकेंगे तथा कुल विक्रय किये गये टिकटों की 10 प्रतिशत धनराशि संबंधित विभाग को भुगतान करनी होगी।

9.(3) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों का प्रसारण उत्तराखण्ड के दूरदर्शन चैनल तथा अन्य किसी भी चैनल पर प्रसारित किये जाने हेतु चैनल (एक बार के प्रसारण हेतु) द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का 20 प्रतिशत अथवा रू. 5लाख तक, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति संबंधित फिल्म निर्माता को की जायेगी।

10.फिल्म महोत्सव एवं फिल्म सोसाइटीज़ हेतु वित्तीय सहयोग

10.(1) राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर में आयोजित होने वाले फिल्म महोत्सव में या ऐसे किसी कार्यक्रम में जिनके माध्यम से उत्तराखण्ड में फिल्मों को प्रोत्साहन मिले, परिषद द्वारा प्रतिभाग करने पर फिल्मों को प्रायोजन (sponsorship) की एक निश्चित धनराशि का वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा सकता है, अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य की फिल्म/डाक्यूमेंट्री/लघु फिल्म के स्क्रीनिंग हेतु चयन होने पर आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

10.(2)राज्य में फिल्म संस्कृति और फिल्म समुदाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिषद् द्वारा समय समय पर राज्य में पंजीकृत फिल्म सोसाइटीज़ को प्रोत्साहित किया जायेगा। फिल्म सोसाइटीज़ द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों का परिषद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन होना आवश्यक है। फिल्म सोसाइटीज़ को वर्ष में अधिकतम 5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सकती है। अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से अनुदान की धनराशि का निर्धारण परिषद् द्वारा गतिविधियों के आंकलन के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिषद् के अनुमोदनोपरांत ही किया जायेगा।

11.फिल्म शूटिंग हेतु आवासीय सुविधा

गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमांऊ मण्डल विकास निगम तथा राज्य सरकार के अन्य अतिथि गृहों, तथा सूचना विभाग द्वारा अधिसूचित होटलों में फिल्म की शूटिंग अवधि में फिल्म यूनिट को आवासीय सुविधा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा जिसकी प्रतिपूर्ति संबंधित अतिथि गृहों, होटलों को परिषद द्वारा की जायेगी।

12. छात्रवृत्ति

फिल्म एण्ड टेलीविजन संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र तथा सत्यजीत–रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता या अन्य ख्याति प्राप्त संस्थान (जिनका निर्धारण परिषद द्वारा किया गया हो) में प्रवेश लेने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी छात्र–छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम पर हुए व्यय का, एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. को 75 प्रतिशत एवं सामान्य अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। मेरिट के आधार पर प्रतिवर्ष कुल अधिकतम प्रथम 05 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

13 फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाना

अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद् (मा. मुख्यमंत्री) राज्य में प्रदर्शित होने वाली किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री कर सकते हैं। टैक्स फ्री फिल्मों के SGST की प्रतिपूर्ति आयुक्त कर की संतुति पर परिषद् द्वारा सीधे सिनेमाघरों को की जाएगी।

14. फिल्म निर्माताओं के लिए रेकी हेतु अनुदान

14.(1)राज्य में शूटिंग हेतु फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म निर्माताओं द्वारा की जाने वाली लोकेशन रेकी के लिए परिषद द्वारा अधिसूचित नए लोकेशंस पर गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमांऊ मण्डल विकास निगम तथा राज्य सरकार के अन्य अतिथि गृहों, तथा सूचना विभाग द्वारा अधिसूचित होटलों के आवासीय सुविधा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति संबंधित फिल्म निर्माताओं को परिषद द्वारा की जायेगी। लोकेशन रेकी के दौरान राज्य में व्यय की गयी कुल धनराशि का 30 प्रतिशत या 5लाख रूपये तक जो भी कम हो तक का अनुदान दिया जायेगा। नए शूटिंग डेस्टिनेशन का चयन परिषद द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग की सलाह से किया जायेगा। अनुदान के लिए इच्छुक फिल्म निर्माताओं को रेकी से पूर्व आवेदन कर परिषद की अनुमति लेनी होगी।

14(2) रेकी के अनुदान के लिए राज्य में किये गए सम्पूर्ण व्यय के सापेक्ष 90 प्रतिशत भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPIआदि नीतिगत माध्यम द्वारा होना आवश्यक है। कैश भुगतान को हतोत्साहित किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्तिथियों में CA द्वारा प्रमाणित करने पर ही नकद लेन देन पर आधारित व्यय स्वीकृत होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में नकद व्यय कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक के मान्य नहीं होंगे।

14(3) राज्य में शूटिंग लोकेशंस और स्थानीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समय समय पर प्रतिष्ठित ट्रवेलोगर, ब्लॉगर्ज को आमंत्रित कर निर्धारित लोकेशंस के बारे में वीडियो फिल्म / ट्रवलोग / वीडियो ब्लॉग आदि निर्मित कराकर जागरूकता पैदा की जाएगी। जिनको आमंत्रित किया जायेगा उन ट्रवेलोगेर्स, ब्लोगर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 1 लाख सब्सक्राइबर्स / फॉलोअर्स का होना आवश्यक है। इस विषय में परिषद् द्वारा समय समय पर अन्य मानक भी बनाये जा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में ट्रैवलॉगर्स, ब्लॉगर्स द्वारा उनकी शूटिंग (अधिकतम 5 दिन) के दौरान गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमांऊ मण्डल विकास निगम तथा राज्य सरकार के अन्य अतिथि गृहों, तथा सूचना विभाग द्वारा अधिसूचित होटलों के आवासीय सुविधा में शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति संबंधित फिल्म निर्माताओं को परिषद द्वारा प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद की जायेगी। (आवासीय सुविधा की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान बैंक, चेक, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, UPI आदि डिजिटल माध्यम द्वारा होना आवश्यक है।)

15. फिल्मों की शूटिंग हेतु सिंगल विंडो सिस्टम –

उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने तथा फिल्म निर्माता–निर्देशकों को शूटिंग की अनुमति सरलता से मिल सके, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार कार्य किया जायेगा।

15.(1) उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों पर फिल्म शूटिंग हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे, जिसमें सभी संबंधित विभाग ऑनलाइन संस्तुति, परिषद को, अधिकतम एक सप्ताह में प्रेषित करेंगे। तदोपरांत, परिषद द्वारा अधिकतम 02 सप्ताह के भीतर शूटिंग की ऑनलाइन अनुमति प्रदान की जायेगी।

15.(2) फिल्म शूटिंग हेतु अनुमति पत्र परिषद के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन जारी किया जायेगा। उक्त शूटिंग अनुमति पत्र सभी सार्वजनिक स्थलों पर फिल्म शूटिंग हेतु मान्य होगा।

15.(3) उत्तराखण्ड में शूट होने वाली फिल्मों के लिये राज्य सरकार के अधीन शूटिंग शुल्क नहीं लिया जायेगा। राज्य सरकार के विभागों द्वारा शूटिंग हेतु कोई अन्य शुल्क नही लिया जायेगा।

15.(4) वन विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित शूटिंग शुल्क को पूर्णतया समाप्त समझा जायेगा। किन्तु राजाजी नेशनल पार्क एवं कार्बेट नेशनल पार्क के लिए निर्धारित दरों पर शूटिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

15.(5) शूटिंग स्थल पर यदि पूर्व से कोई पार्किंग शुल्क, निर्धारित हो, तो फिल्म निर्माता द्वारा उसका भुगतान संबंधित को किया जायेगा।

15.(6) फिल्मों की शूटिंग अवधि में पुलिस विभाग के संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से कम से कम 05 पुलिस कर्मी फिल्म निर्माता के अनुरोध पर शूटिंग अवधि तक नि:शुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। इससे अधिक संख्या में पुलिस कर्मी पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

15.(7) वन विभाग, एकल खिडकी व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो CEO/नोडल अधिकारी, परिषद द्वारा संदर्भित शूटिंग प्रकरणों पर एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित सहमति/असहमति प्रदान करेंगे।

15.(8) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नोडल अधिकारी, राज्य फिल्म विकास परिषद,

अनुमति पत्र देते समय सम्यक् प्रतिबन्धों, शर्तों तथा चेतावनियों को जारी करने हेतु अधिकृत होंगे। फिल्म निर्माता द्वारा शूटिंग अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम दो सप्ताह के भीतर निर्माता को अनुमति देने अथवा अनुमति नहीं देने की सूचना दी जायेगी।

15.(9) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नोडल अधिकारी, परिषद, द्वारा अनुमति प्रदान करने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकरी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/संबंधित थानाध्यक्ष को सूचित करेंगे, जो कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

16. शूटिंग लोकेशन फिल्म डायरेक्ट्री

16. राज्य में फिल्म शूटिंग हेतु आने वाले फिल्म निर्माता–निर्देशकों की सुविधा हेतु एक फिल्म डायरेक्ट्री तैयार की जायेगी। उक्त फिल्म डायरेक्ट्री में राज्य के फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, संगीतकार, कोरियोग्राफर, गीतकार, कहानीकार, लेखक, कैमरामैन, फोटोग्राफर, तकनीशियन, स्पॉट बॉय, फिल्म प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियों स्वामी तथा उत्तराखण्ड के शूटिंग डेस्टिनेशन/लोकेशन आदि का विवरण संकलित किया जायेगा।

17. लाइन प्रोडयूसर का पंजीकरण

17. उत्तराखण्ड में फिल्म निर्माता–निर्देशकों से समन्वय व शूटिंग करने हेतु लाइन प्रोडयूसर का पंजीकरण किया जायेगा। उत्तराखण्ड में शूटिंग की जाने वाली फिल्मों के लिए फिल्म विकास परिषद में पंजीकृत लाइन प्रोडयूसर को, प्राथमिकता दी जाएगी। इस दिशा में परिषद द्वारा समय समय पर उचित दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

17.(1) लाइन प्रोडयूसर के रूप में कम से कम 03 वर्षो से उत्तराखण्ड में कार्य करने का अनुभव का प्रामाणिक अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

17.(2) लाइन प्रोडयूसर की फर्म उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो। एक पंजीकृत फर्म से अधिकतम 03 सदस्यों को लाइन प्रोडयूसर के रूप में परिषद में पंजीकृत किया जायेगा।

17.(3) लाइन प्रोडयूसर के पंजीकरण के समय अन्य आवश्यक मानक समय–समय पर परिषद द्वारा तय किये जायेंगे।

17.(4) परिषद में पंजीकृत लाइन प्रोडयूसर को परिषद द्वारा परिचय पत्र प्रदान किया जायेगा।

17.(5) पंजीकृत लाइन प्रोडयूसर का आकस्मिक निधन होने पर उनके आश्रित को रु. 2लाख तक की धनराशि की सहायता प्रदान की जायेगी।

17.(6) विभाग में पंजीकृत लाईन प्रोड्यूसर के संबंध में शूटिंग से संबंधित यदि कोई शिकायत की पुष्टि हो जाती है तो उसको उत्तराखण्ड राज्य में 5वर्षो तक के लिए प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।

18. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC)

18. राज्य में फिल्म नीति को लागू करने और फिल्म नीति से सम्बंधित सभी प्रावधानों के क्रियान्वयन / अनुश्रवण के लिए उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद् का गठन किया जायेगा, जिसका नाम "उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC)" होगा। जो कि राज्य में फिल्म विकास से सम्बंधित नीतिगत निर्णयों एवं परामर्श के लिए कार्य करेगी। परिषद में अधिकतम 15 सदस्य होंगे। उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC)" का स्वरूप निम्नानुसार होगा–

1	**मा0 मुख्यमंत्री**	**पदेन अध्यक्ष**	**01**
2	क्षेत्रीय अथवा हिन्दी भाषा बोली की फिल्म/कला/संस्कृति क्षेत्र के विशेषज्ञ	पदेन उपाध्यक्ष	01
3	उत्तराखण्ड राज्य की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों व अन्य हिन्दी फिल्मों से जुड़े फिल्मकार/ /गीतकार/संगीतकार/निर्देशक/निर्माता एवं फिल्म जगत से संबंधित विषय विशेषज्ञ (नामित)	पदेन सदस्य	03
4	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य	01
5	पुलिस महानिदेशक, पुलिस	पदेन सदस्य	01
6	प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग	पदेन सदस्य	01
7	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य	01
8	मुख्यकार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद	पदेन सदस्य	01
9	आयुक्त राज्य कर	पदेन सदस्य	01
10	महानिदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC)/सूचना	पदेन सदस्य सचिव	01
11	निदेशक, संस्कृति	पदेन सदस्य	01

12	निदेशक/अपर निदेशक, सूचना	सदस्य	01
13	नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (UFDC)/ सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड	पदेन संयोजक	01

18.(1) परिषद में उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने का अधिकार मा. मुख्यमंत्री/सूचना मंत्री को होगा। परिषद के उपाध्यक्ष तथा नामित गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा। फिल्म विकास परिषद एक स्थाई संस्था होगी और अध्यक्ष सहित एक तिहाई सदस्यों के साथ परिषद का कोरम पूर्ण माना जायेगा।

18.(2) परिषद में नियुक्त उपाध्यक्ष को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

18.(3) गैर सरकारी सदस्यों को परिषद की बैठक के दिवस को निर्धारित मानदेय, दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता परिषद द्वारा निर्धारित किया जायेगा जो level15 (G-P10000) के समतुल्य होगा।

18.(4) "फिल्म विकास परिषद में नामित उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों को बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी नियुक्ति समाप्त किये जाने का निर्णय अध्यक्ष (मा. मुख्यमंत्री) द्वारा लिया जा सकता है।

19. परिषद के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यकारी मण्डल होगा –

19.(1)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	– पदेन महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
19.(2)	कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	–पदेन निदेशक/अपर निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
19.(3)	सचिव, कार्यकारी मण्डल	– पदेन नोडल अधिकारी
19.(4)	वित्त परामर्शी	–पदेन वित्त अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड.

19.(5)कार्यकारी मण्डल परिषद के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगा।

19.(6)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिषद के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और इस नीति में निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक, वित्तीय एवं प्रबंधकीय कार्यों का संपादन करेंगे।

19.(7) परिषद के कार्य संचालन हेतु प्रथम श्रेणी के विभागीय अधिकारियों से एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। (उपनिदेशक, उप मुख्य कार्याधिकारी, संयुक्त निदेशक, संयुक्त मुख्य कार्याधिकारी पदनाम व्यवहृत होंगे। इन्हे अलग से कोई वेतन भत्ता स्वीकृत नहीं होगा।)

20. परिषद में वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

20.(1) फिल्मों के अनुदान सहित परिषद के समस्त कार्यों पर होने वाला व्यय सूचना विभाग एवं परिषद को प्राप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट के सुसंगत मद से वहन किया जायेगा।

Rehy

20.(2) अनुदान संबधी प्रकरणों के लिए तकनीकी एवं वित्तीय समिति की संस्तुति के बाद मा. मुख्यमंत्री/मा. अध्यक्ष के अनुमोदन पर धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

20.(3) अनुदान के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के प्रकरणों में जब तक की अलग से उल्लिखित न हो रुपये 50 लाख तक की धनराशि के कार्यों की स्वीकृति एवं आहरण का अधिकार महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को होगा, जबकि रुपये 50 लाख से अधिक की धनराशि के संबंध में मा. मुख्यमंत्री/मा. अध्यक्ष की संस्तुति/अनुमोदन के पश्चात् आहरण किया जा सकेगा।

20.(4) परिषद द्वारा परिषद के कार्यों के निष्पादन के लिये PMU का गठन कर आउट सोर्स नियुक्तियां की जा सकती हैं।

21. अनुदान हेतु समितियों का गठन

21.(1) अनुदान हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा।

(क)	उपाध्यक्ष, परिषद	– अध्यक्ष
(ख)	महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिषद	– पदेन सदस्य
(ग)	परिषद में नामित 03 सदस्य (गैर सरकारी)	– सदस्य
(घ)	नोडल अधिकारी, परिषद	– पदेन सदस्य सचिव

21.(2) परिषद में उपाध्यक्ष, तथा गैर सरकारी सदस्य नामित न होने की दशा में तकनीकी समिति निम्नानुसार होगी –

(क)	महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	– पदेन अध्यक्ष
(ख)	अपर निदेशक, सूचना/कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी	–पदेन सदस्य सचिव
(ग)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	– पदेन सदस्य
(घ)	निदेशक, संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	– पदेन सदस्य
(ड.)	नोडल अधिकारी,परिषद	– पदेन सदस्य सचिव

(घ) महानिदेशक, सूचना/CEO विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में फिल्म विशेषज्ञों को सम्मिलित कर सकते हैं। पदेन आमंत्रित फिल्म विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में भी उपरोक्तानुसार समिति निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी।

21.(3) तकनीकी समिति की संस्तुति के उपरांत अनुदान दिये जाने के लिए वित्त समिति परीक्षण कर अपनी संस्तुति परिषद के मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी, जिस पर अंतिम निर्णय परिषद के मा. अध्यक्ष/मा. मुख्यमंत्री जी का होगा। वित्तीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा।

(क)	महानिदेशक, सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	– पदेन अध्यक्ष
(ख)	निदेशक/अपर निदेशक, सूचना/ कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी	– पदेन सदस्य सचिव
(ग)	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	– पदेन सदस्य

22. विधिक परिवर्तन

22.(1) भविष्य में यथा आवश्यकता प्रदेश की फिल्म नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/शिथिलीकरण मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

22.(2) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पूर्व में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत राज्य फिल्म विकास परिषद एवं क्षेत्रीय फिल्म विकास परिषद की सभी अधिसूचनाएं स्वतः निष्प्रभावी मानी जायेगी।

22.(3) इस नीति के लागू होने की तिथि से पूर्व, 01 वर्ष के भीतर जिन फिल्मों को परिषद द्वारा शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई है, को नियमानुसार अनुदान हेतु विकल्प प्रदान किया जायेगा कि वे अनुदान पूर्व प्रचलित फिल्म नीति, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) की फिल्म नीति के अंतर्गत लेना चाहते हैं या 2024 की नीति के अंतर्गत लेना चाहते हैं। चयनित विकल्प के अधीन लागू शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

22.(4) इस नीति के क्रियान्वयन और नीति में उल्लिखित प्रावधानों के पारस्परिक क्रियान्वयन से जुड़ी किसी विसंगति को दूर करने के लिए परिषद् द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत समय–समय पर निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

22.(5) उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2024 के हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवादों में कोई भिन्नता पाये जाने पर हिन्दी अनुवाद को ही प्रमाणिक माना जायेगा।

(शैलेश बगौली)
सचिव

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव गोपन (मंत्रिपरिषद)अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमांयूँ मण्डल।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश जैन)
उप सचिव